

(3)

राजस्व वाद सं. 57/2018


निर्णय

खेत खसरा नम्बर 693 तादादी 10.15 हैक्टर, खसरा नम्बर 696 तादादी 7.55 हैक्टर, खसरा नम्बर 697 तादादी 16.00 हैक्टर, खसरा नम्बर 698 तादादी 3.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 702 तादादी 6.30 हैक्टर, खसरा नम्बर 703 तादादी 5.07 हैक्टर कुल कित्ता 6 कुल तादादी 48.17 हैक्टर, वाके रोही भादला तहसील नोखा वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 4 का खाता विभाजित बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस एवं वादी एवं प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त की स्थिति के अनुसार करवाने एवं पृथक लगान निर्धारण करने के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादी संख्या 5 से 20 को जरिये विरनिषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करें। तहसीलदार, नोखा राजस्थान काश्तकारी (सरकारी नियम 1955) के नियम 19 से 21 के तहत जोत के करार हेतु नियमानुसार सिद्धांतों का पालन करते हुए अभिलेख पर नक्शा बनाकर व उप विभाजित खेतों का अंकन पक्षकारों के खर्चे पर चिन्हित करना सुनिश्चित करते हुए वादीनी के कब्जे काश्त के अनुसार वादीनी प्रतिवादीगणों के खेतों में आने जाने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभाजन प्रस्ताव पेश करें। प्राथमिक डिकी जारी हों।

पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 15.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।




(रमेश देव)

उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी
नोखा (बीकानेर)